202

संख्या– / /14–XXIV-4–10(06)2014

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 04 फरवरी, 2014

विषयः–ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नियो0/73783/5ख(3)बालिका सुवि0/2013–14, दिनांक 08– जनवरी,–2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु वासुदेव ज0इ0का0 गगांनगर बांगर, जनपद रूद्रप्रयाग को ₹ 0.68 लाख (रूपये अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

2– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

3– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

4– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

5– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

6– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकि स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिर्वतन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

....2

7– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

8– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. आगणन की एक प्रति इस आशय से संलग्न की जा रही है कि सम्बन्धित निर्माण ईकाई को उपलबध करायी जाय। आगणनों के अनुसार निर्माण इकाई निर्माण कार्यों को सम्पादित करेगी।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या –11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02 –माध्यमिक शिक्षा–110– गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–04–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–0402–माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 54 (1)/14–XXIV-4/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
6. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
8. कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
9. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
उप सचिव।